प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

पत्रांक : 816/अ.अ./उद्यान/वि.प्रा./2019-20 दिनांक : 07.06.2019

आफर सूचना

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा सुमित्रानन्दन पंत बाल उद्यान (हाथी पार्क) में बच्चों के मनोरंजन हेतु अस्थाई रूप से छोटे झूले लगाने हेतु इस कार्य के प्रतिष्ठित संस्थाओं व अनुभवी या प्रयागराज विकास प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों से निम्न नियम एवं शर्तों पर संचालन हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. बच्चों के मनोरंजन हेतु अस्थाई रूप से छोटे झूले लगाकर संचालन अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष हेतु वैध होगा।
2. ऑफरदाताओं को आवेदन पत्र अधिशासी अभियन्ता-उद्यान, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यालय में दिनांक 17.06.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द प्राप्त किये जायेंगे एवं उसी दिन सायं 4.00 बजे खोले जायेंगे। ऑफर खोलते समय ऑफरदाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
3. ऑफरदाता को आवेदन पत्र के साथ रु. 25,000.00 (रु. पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि की एन.एस.सी./एफ.डी.आर. जो अधिशासी अभियन्ता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक हो, जमानत के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। बगैर जमानत धनराशि के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. ऑफर के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी अधिशासी अभियन्ता-उद्यान के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में प्राप्त/देखी जा सकती है।
5. बच्चों के मनोरंजन हेतु पार्क में निर्धारित स्थल पर निर्धारित आकार-प्रकारा के खेला उपकरण (झूले) यथा वोन्सी (बच्चा), वी.वी.टी., सुपरडूपर (चाइल्ड) आदि लगाने होंगे। इन झूलों को लगाने, उनकी देख-रेख, रख-रखाव, बिजली मरम्मत व संचालन पर आने वाला समस्त व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा। इन पर अनुमन्य से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जायेगा। उक्त ऑफर तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश होता है तो ऑफर अगले कार्यदिवस में प्राप्त/खोले जायेंगे।
6. पार्क में लगाये जाने वाले खेल उपकरणों पर किसी प्रकार का मनोरंजन शुल्क अथवा अन्य शुल्कों का भुगतान आवंटी फर्म को स्वयं अदा करना होगा।
7. ऑफरदाता को ऑफर की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्ध से पूर्व अग्रिम में जमा करना होगा।
8. ऑफरदाता को झूला संचालन स्थल की साफ-सफाई रखनी होगी। झूलों के संचालन हेतु रु. 20.00 प्रति बच्चा शुल्क लिया जायेगा और उक्त निर्धारित शुल्क रु. 20.00 प्रति बच्चा से अधिक धनराशि लिये जाने पर नियमानुसार अनुबन्ध निरस्त करते हुए जमा जमानत धनराशि जप्त कर ली जायेगी।
9. झूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु समुचित सुरक्षा व्यवस्था संचालनकर्ता को रखनी होगी तथा स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा हेतु First Aid Box रखना अनिवार्य होगा।
10. झूलों के संचालन हेतु तैनात कर्मचारियों के सत्यापित आई.डी. की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. शर्तों के उल्लंघन की दशा में जमानत राशि ज़ब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।
12. किसी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। लाइसेंस के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वाद का क्षेत्राधिकार केवल जनपद प्रयागराज में स्थित न्यायालय में ही निहित होगा।
13. मा. उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

अधिशासी अभियन्ता